न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 20/2020 **RCMS 2020/00036**

वादीगण

1. रूगाराम पुत्र कल्लाराम जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बोदूराम पुत्र कल्लाराम जाति जाट
2. राधादेवी पत्नी कल्लाराम जाति जाट निवासीयान ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा रिकार्ड दुरूस्ती कराने बाबत धारा 88 R.T.Act1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वादीगण की ओर से।

श्री भीकमचन्द अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 2 की ओर सें

निर्णय

दिनॉक :– 13/3/2020

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से एक ही खानदान के सदस्य है व स्व. कल्लाराम के उत्तराधिकारी वारिसान है जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

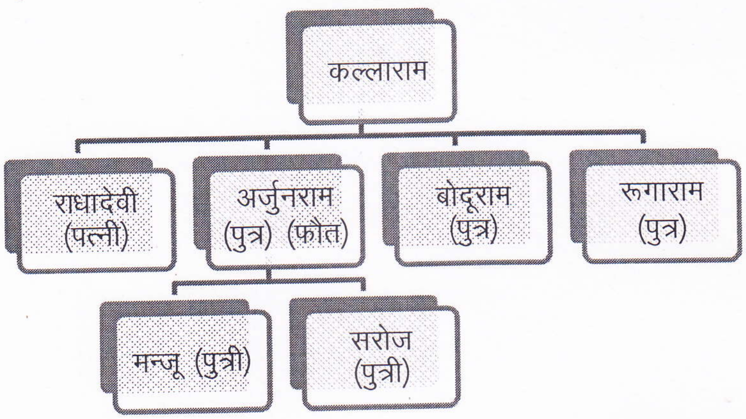

ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 280 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 281 रकबा 2.80 हक्टर स्थित चली आ रही है, उपरोक्त भूमि में वादी की 0.13999 हैक्टर भूमि खातेदारी दर्ज चली आ रही है, लेकिन रिकार्ड में वादी का नाम उगाराम पुत्र कल्लाराम दर्ज हो रखा है, जबकि आधार कार्ड राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का वास्तविक नाम रूगाराम पुत्र कल्लाराम दर्ज हो रखा है, जिसके लिए रिकार्ड दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है, पटवारी हल्का को उक्त शुद्धि किये जाने हेतु कहा, पटवारी हल्का ने उक्त नाम न्यायालय आदेश से ही दुरूस्त होना बताया है, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम नारायणपुरा के खसरा नम्बर 280 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 281 रकबा 2.80 में वादी का नाम उगाराम पुत्र कल्लाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

स्थान पर रूगाराम पुत्र कल्लाराम खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश प्रदान फरमावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 उपस्थित आये, जिन्होने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सं. 3 उपस्थित आये जिन्होने किसी प्रकार का जवाब दावा प्रस्तुत नही करना चाहा। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 ग्राम नारायणपुरा के खाता संख्या 48 खसरा नम्बर 280, 284, 285 कुल रकबा 0.99 हैक्टर, खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 281 रकबा 2.80 हैक्टर की प्रस्तुत की, आधार कार्ड नम्बर 564977967827 की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र GSR/2626943 की छाया प्रति, बैंक Accoutn Number 35042183304 की छाया प्रति, प्रस्तुत की।

वकील वादी की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा उगाराम की जगह सही नाम रूगाराम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड एवं आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र के नाम में भिन्नता है, वास्तविक नाम वादी का रूगाराम है जबकि राजस्व रेकार्ड में उगाराम दर्ज हो गया है जिसे न्यायहित में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है, वादी के सही नाम होने की पुष्टि आधार कार्ड नम्बर 564977967827 की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र GSR/2626943 की छाया प्रति, बैंक Accoutn Number 35042183304 की छाया प्रति से होती है, इसलिए राजस्व रेकार्ड में भी नाम दुरूस्त किया जाना वांछित है, अतः वाद वादी काबिल डिक्री पाये जाने से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 280 284 285 एव खाता संख्या 48 खसरा नम्बर 281 में दर्ज प्रविष्टि उगाराम पुत्र कल्लाराम जाति जाट के स्थान पर रूगाराम पुत्र कल्लाराम जाति जाट सही इन्द्राज किया जावे, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 13/03/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 20/2020 **RCMS 2020/00036**

वादीगण

1. रूगाराम पुत्र कल्लाराम जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बोदूराम पुत्र कल्लाराम जाति जाट
2. राधादेवी पत्नी कल्लाराम जाति जाट निवासीयान ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा रिकार्ड दुरूस्ती कराने बाबत धारा 88 R.T.Act1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री भीकमचन्द अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 280 284 285 एव खाता संख्या 48 खसरा नम्बर 281 में दर्ज प्रविष्टि उगाराम पुत्र कल्लाराम जाति जाट के स्थान पर रूगाराम पुत्र कल्लाराम जाति जाट सही इन्द्राज किया जावे, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.........माह 03.......... सन्2020............... को जारी की गई।

दस्तखत..
ओहदा उपखण्ड अधिकारी ....(मुहर)
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मु[illegible]		
मीजान			मी[illegible]		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा ह[illegible] दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:29 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.14 11:45:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: